ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର
Odisha State Open University (OSOU)
Sambalpur

# खंड

# 1

## हिन्दी भाषा और उसके विविध प्रायोगिक रूप

इकाई–01 : हिन्दी भाषा के विविध प्रायोगिक रूप 03

इकाई–02 : बोलचाल की भाषा और मानक भाषा 15

इकाई–03 : सम्पर्क भाषा(जनभाषा) के रूप में हिन्दी 27

इकाई–04 : राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी 33

इकाई–05 : हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण 45

## पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

**डॉ. अजय कुमार पट्टनायक**
प्रोफेसर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष
रेवेन्शा विश्वविद्यालय, कटक

**डॉ. कमल प्रभा कपानी**
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बरगढ़ महाविद्यालय, बरगढ़

**डॉ. सदन कुमार पॉल**
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

**डॉ. मुरारी लाल शर्मा**
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

**डॉ. जी. एम. खान**
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बी.जे.बी स्वयंशासित महाविद्यालय
भुवनेश्वर

**डॉ. संजय सिंह**
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
राजेन्द्र स्वयंशासित महाविद्यालय
बलांगीर

**डॉ. जयन्त कर शर्मा**
कुलसचिव
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

## प्रस्तुतकर्ता

**डॉ. अजय कुमार पट्टनायक**
प्रोफेसर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष
रेवेन्शा विश्वविद्यालय, कटक
ई.–मेल : ajoymamata@yahoo.com
पता : 'तपोवनम्', यूनिट–8, प्रगतिनगर
प्लाट-1032 / 2402, भुवनेश्वर (ओड़िशा)–3

**डॉ. छबिल कुमार मेहेर**
क्वा. नं. : सी–100, विश्वविद्यालय परिसर
डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
सागर, मध्यप्रदेश–470003,
मो. 08989154228, दूरभाष : 07582–264128
ई.–मेल : meherchhabilakumar@gmail.com

## पाठ्यक्रम संयोजन, संपादन एवं सामग्री उत्पादन

**डॉ. जयन्त कर शर्मा**
कुलसचिव
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

CC BY SA

जनवरी, 2017
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
मुद्रण : *श्रीमंदिर पब्लिकेशन्स, शहीद नगर, भुवनेश्वर*

# इकाई–1 : हिन्दी भाषा के विविध प्रायोगिक रूप

**रूपरेखा**


1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. भाषा का प्रश्न
    - 3.1 भाषा : सामान्य परिचय
    - 3.1 भाषा : अर्थ एवं परिभाषा
    - 3.2 भाषा : अभिव्यक्ति का माध्यम
    - 3.3 भाषा : चिन्तन का माध्यम
    - 3.4 भाषा : संस्कृति का माध्यम
    - 3.5 भाषा : साहित्य का माध्यम
4. हिन्दी भाषा के विविध रूप
    - 4.1 बोलचाल की भाषा
    - 4.2 मानक भाषा
    - 4.3 सम्पर्क भाषा
    - 4.4 राजभाषा
    - 4.5 राष्ट्रभाषा
5. बोध प्रश्न
6. सारांश
7. बोध प्रश्नों के उत्तर


## 1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- भाषा की परिभाषा एवं उसका सामान्य परिचय पा सकेंगे;
- साहित्य, संस्कृति, चिन्तन एवं अभिव्यक्ति में भाषा के प्रकार्य को समझ सकेंगे;
- हिन्दी भाषा के विविध रूप; मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा से परिचित होंगे;
- राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के भेद को समझ सकेंगे;

## 2. प्रस्तावना

'हिन्दी भाषा और उसके विविध प्रायोगिक रूप', डी.एफ.एच.टी–1 के पहले अध्याय 'हिन्दी भाषा के विविध प्रायोगिक रूप' में भाषा का सामान्य परिचय व उसकी परिभाषा की चर्चा की गई है। साथ ही हिन्दी भाषा के विविध रूप; मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि पर भी विचार किया गया है।

## 3. भाषा का प्रश्न

भाषा एक ऐसा 'बहता नीर' है जो अबोध और अकूल होकर भी सर्वथा अव्यवस्थित अथवा दिशाहीन पथ का गामी नहीं। उसकी अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और मर्यादा–सीमा सुनिश्चित है। इस परिधि के भीतर रहकर भी भाषा की विकास–यात्रा अनेक वीथियों, सरणियों और मार्गों का अनुसरण करती हुई अविराम गति से निरन्तर प्रवाहमान रहकर अपने समूचे परिवेश को आप्लावित और रससिक्त करती चलती है। यदि भाषा न होती तो आज दिख रही मनुष्य की चतुर्दिक अबाध प्रगति का कहीं नामोनिशान नहीं होता। भाषा के प्रयोग द्वारा हम प्रतीकों की एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था अर्जित कर लेते हैं जो ज्ञान को अक्षुण्ण रखने में सहायक होती है।

भारत में बहुत–सी भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें असमिया, ओड़िआ, बंगला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत, सिन्धी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोड़ो, डोगरी मुख्य भाषाएँ हैं। इन भाषाओं के साथ–साथ हिन्दी का प्रयोग पूरे भारत में होता है। वास्तव में हिन्दी का अर्थ 'हिन्द की भाषा' है और यह भाषा पूरे भारत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक बोली और समझी जाती है।

### 3.1 भाषा : सामान्य परिचय

भाषा एक सामाजिक क्रिया है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं। समाज में यह विचार–विनिमय का साधन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान–प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि–संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसी–न–किसी वस्तु के बारे में कहती है। वह समाज सापेक्ष होती है। उसका कोई प्रयोजन होता है और विकसित होते–होते वह मनुष्य के विचार और अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी नई भाषा

उत्पन्न नहीं करती। वह अपने पूर्वज से उसे सीखती है और इस प्रकार भाषा परम्परागत सम्पत्ति है। उसकी धारा अविच्छिन्न चलती रहती है। साथ ही यह अर्जित सम्पत्ति है अर्थात् आपस के या सामाजिक साहचर्य द्वारा वह सीखनी पड़ती है।

भाषा से न केवल विषयगत जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इसके माध्यम से हमारा संवेगात्मक विकास होता है। भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों के सृजनात्मकता का जामा पहना कर साहित्य का निर्माण करता है। भाषा न केवल साहित्य–सृजन के लिए होती है, बल्कि अन्य विषयों की जानकारी के लिए भी माध्यम का कार्य करती है।

भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर का अनोखा वरदान है। भाषा के बिना मनुष्य–समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर आरोहण करने के लिए भाषा की भूमिका इतना महत्त्वपूर्ण है कि भाषा के बिना किसी प्रकार की उन्नति करना सम्भव नहीं। मैक्समुलर के शब्दों में ''भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निसन्देह यह प्रकृति की अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिस प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित कर रखा था।''

ऊपर कहा जा चुका है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है। अर्थात् आपस के या सामाजिक साहचर्य द्वारा वह सीखनी पड़ती है। वह सामाजिक और सांकेतिक संस्था है। ध्वनियों, स्वर–विकार, मुख–विकृति, बल–प्रयोग, आचरण का वेग आदि भाषा के आवश्यक गौण अंग माने जाते हैं। विशेषकर अविकसित जातियों की भाषाओं में। साहित्यिक पद पर आसीन होने के लिए प्रत्येक भाषा को इन अंगो का बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। उस समय भाषा के चार अंग ही प्रधान हो जाते हैं– शब्द, वाक्य, ध्वनि और अर्थ। शब्दों के अर्थ शाश्वत नहीं होते। स्थान, समाज, व्यक्ति आदि के भेद से उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सभ्यता के विकास, मानसिक और भौतिक परिवर्तनों के साथ–साथ फलतः जटिलताओं और दुरूहताओं के विकास के साथ–साथ अथवा एक जाति के दूसरी जाति के सम्पर्क में आने से भाषा का विकास भी होता है। कहा जाता है, ''चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी।'' अर्थात् थोड़ी–थोड़ी दूर पर समाज की भाषा में बदलाव आ ही जाता है, जो स्वाभाविक है। यही कारण है कि अलग–अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाएँ एक वृहत्तर परिवेश की मानक भाषा से जुड़ी रहती हैं। ''विश्व में कोई भाषा ऐसी नहीं होगी जिसका प्रयोग उसके पूरे क्षेत्र में सभी स्तरों पर एक–सा हो। तत्त्वतः भाषा की एकरूपता या उसके मानकीकरण की बात सैद्धान्तिक ही अधिक है, व्यावहारकि कम।'' (डॉ. भोलानाथ तिवारी)

मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार हुई है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वागेन्द्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न हैं। यहि कारण है कि वह बाह्य वातावरण और परिस्थितियों के प्रभाव से प्रभावित विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतीकात्मक शब्दों का निर्माण कर सका। इसी प्रकार क्रमशः मौखिक फिर लिखित भाषा की उत्पत्ति हुई और वह धीरे–धीरे विकसित होती गई। ज्ञानार्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का भी आधार है। उसके बिना शिक्षा के किसी भी क्रिया–कलाप की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा के स्वरूप को समझने के लिए हम निम्नलिखित संकल्पनाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

### 3.2 भाषा : अर्थ एवं परिभाषा

'भाषा' शब्द भाष् धातु से निष्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है– ''भाष् व्यक्तायां वाचि'' अर्थात् व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है।

भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि– 'भाषा मनुष्य के विचार–विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है।' भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव की यह बात ध्यान देने योग्य है कि– 'भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यन्त जटिल और बहुस्तरीय नहीं है वरन् अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है।' उदाहरण के लिए अगर भाषा व्यक्ति के निजी अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है; तब इसके साथ ही वह सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है, एक ओर अगर वह हमारे मानसिक व्यापार(चिन्तन प्रक्रिया) का आधार है तो दूसरी तरफ वह हमारे सामाजिक व्यापार(संप्रेषण प्रक्रिया) का साधन भी है। इसी प्रकार संरचना के स्तर पर जहाँ भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों में सम्बन्ध स्थापित कर अपना संश्लिष्ट रूप ग्रहण करती है जिनमें वह प्रयुक्त होती है। प्रयोजन की विविधता ही भाषा को विभिन्न सन्दर्भों मे देखने के लिए बाध्य करती है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है :

1. डॉ. कामता प्रसाद गुरु :

*'भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है।'* –हिन्दी व्याकरण

2. आचार्य किशोरीदास वाजपेयी :

*'विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्दसमूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।'* –भारतीय भाषाविज्ञान

3. डॉ. श्यामसुन्दर दास :

*'मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान–प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि–संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।'* –भाषाविज्ञान

4. डॉ. बाबूराम सक्सेना :

*'जिन ध्वनि–चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार–विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।'* –सामान्य भाषाविज्ञान

5. डॉ. भोलानाथ तिवारी :

*'भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक(arbitrary) ध्वनि–प्रतीकों की वह संचरनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज–विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं ।'* –भाषाविज्ञान

6. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव :

*'भाषा वागेन्द्रिय द्वारा निःसृत उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं और जिनके द्वारा किसी भाषा–समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता, पद तथा अंतर्वैयक्तिक सम्बन्धों को सूचित करते हैं।'* –भाषाविज्ञान : सैद्धान्तिक चिन्तन

इस प्रकार भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसे मुख द्वारा उच्चारित किया जाता है और कानों से सुना जाता है, और जिसकी सहायता से मानव–समुदाय परस्पर सम्पर्क और सहयोग करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि– ''मुख से उच्चरित ऐसे परम्परागत, सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि ही भाषा है जिनकी सहायता से हम आपस में अपने विचारों एवं भावों का आदान–प्रदान करते हैं।''

### 3.3 भाषा : अभिव्यक्ति का माध्यम

अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरे तक पहुँचाने हेतु भाषा का उद्‌भव हुआ। भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने, भावों, विचारों, इच्छाओं

और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण भी करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। इसलिए सुनना और सुनाना अथवा जानना और जताना भाषा के मूलभूत कौशल हैं जो सम्प्रेषण के मूलभूत साधन हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा के अन्यतम कौशल है पढ़ना और लिखना जो विधिवत् शिक्षा के माध्यम से विकसित होते हैं।

### 3.4 भाषा : चिन्तन का माध्यम

विद्यार्थी बहुत कुछ सुने, बोले या लिखें–पढ़े, इतना पर्याप्त नहीं है, अपितु यह बहुत आवश्यक है कि वे जो कुछ पढ़ें और सुनें, उसके आधार पर स्वयं चिन्तन–मनन करें। भाषा विचारों का मूल–स्रोत है। भाषा के बिना विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है और विचारों के बिना भाषा का कोई महत्त्व नहीं।

पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि ''बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है, फिर बाहर की और जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वायु मुख में पहुँचती है और विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करती है। ''अतः वाणी के उत्पन्न के लिए चेतना, बुद्धि, मन और शारीरिक अवयव, ये चारों अंग आवश्यक हैं। अगर इन चारों में से किसी के पास एक या एकाधिक का अभाव हो तो वह भाषाहीन हो जाता है।

### 3.5 भाषा : संस्कृति का माध्यम

भाषा और संस्कृति दोनों परम्परा से प्राप्त होती हैं। अतः दोनों के बीच गहरा सम्बन्ध रहा है। जहाँ समाज के क्रिया–कलापों से संस्कृति का निर्माण होता है, वहाँ सास्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ही आधार लिया जाता है। पौराणिक एवं साहसिक कहानियाँ, पर्व–त्यौहार, मेला–महोत्सव, लोक–कथाएँ, ग्रामीण एवं शहरी जीवन–शैली, प्रकृति–पर्यावरण, कवि–कलाकारों की रचनाएँ, महान विभूतियों की कार्यावली, राष्ट्रप्रेम, समन्वय–भावना आदि सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है।

दरअसल, किसी भी क्षेत्र विशेष के मानव समुदाय को परखने के लिए उसकी भाषा को समझना आवश्यक है। किसी निर्दिष्ट गोष्ठी के ऐतिहासिक

उद्‌भव तथा जीवन–शैली की जानकारी प्रात्प करने हेतु उसकी भाषा का अध्ययन जरूरी है। संपृक्त जन–समुदाय के चाल–ढाल, रहन–सहन, वेशभूषा ही नहीं, अपितु उसकी सच्चाई, स्वच्छता, शिष्टाचार, सेवा–भाव, साहस, उदारता, निष्ठा, श्रमशीलता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, कर्त्तव्यपरायणता आदि उसकी भाषा के अध्ययन से स्पष्ट हो जाते हैं।

### 3.6 भाषा : साहित्य का माध्यम

भाषा साहित्य का आधार है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य अभिव्यक्ति पाता है। किसी भी भाषा के बोलनेवालों जन–समुदाय के रहन–सहन, आचार–विचार आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य होता है। साहित्य के जरिए हमें उस निर्दिष्ट समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का परिचय मिलता है। केवल समकालीन जीवन का ही नहीं, बल्कि साहित्य हमें अपने अतीत से उसे जोड़कर एक विकसनशील मानव–सभ्यता का पूर्ण परिचय देता है। साथ ही साहित्य के अध्ययन से एक उन्नत एवं उदात्त विचार को पनपने का अवसर मिलता है तो उससे हम अपने मानवीय जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अतः भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक एवं भावात्मक विकास में सहायक होता है और साहित्य की यह अनमोल सम्पत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुँच पाती है। उत्तम साहित्य समृद्ध तथा उन्नत भाषा की पहचान है।

## 4. हिन्दी भाषा के विविध रूप

भाषा का सर्जनात्मक आचरण के समानान्तर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। इसका कारण यही है कि भाषाओं को सम्प्रेषणपरक प्रकार्य कई स्तरों पर और कई सन्दर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया है। प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई है।

भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी सप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक सन्दर्भों और नये प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे–धीरे विकसित हुई है और रोजी–रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है :

वर्गभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि।

## 4.1 बोलचाल की भाषा

'बालेचाल की भाषा' को समझने के लिए 'बोली' (Dialect) को समझना जरूरी है। 'बोली' उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन–समूह का महत्त्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली 'भाषा' कही जाने लगती है, अन्यथा वह 'बोली' ही रहती है। स्पष्ट है कि 'भाषा' की अपेक्षा 'बोली' का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है।

जब कई व्यक्ति–बोलियों में पारस्परिक सम्पर्क होता है, तब बालेचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती–जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे 'सामान्य भाषा' के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है।

## 4.2 मानक भाषा

भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषाविज्ञान कोश के अनुसार 'किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं।

मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य–पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएँ हैं।

किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है, उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप–रचना, वाक्य–रचना, शब्द और शब्द–रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से, उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। मानकता अनेकता में

एकता की खोज है, अर्थात यदि किसी लेखन या भाषिक इकाई में विकल्प न हो तब तो वही मानक होगा, किन्तु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दें तो कोई एक मानक होता है। जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है।

मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका सम्बन्ध भाषा की संरचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है तथा समाज में उसी का बोलना–लिखना, उसी का खाना–पीना, उसी के रीति–रिवाज़ अनुकरणीय माने जाते हैं। मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है।

## 4.3 सम्पर्क भाषा

अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति–व्यक्ति, राज्य–राज्य तथा देश–विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और सम्पर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत मे सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी प्रतिष्ठित होती जा रही है जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। सम्पर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएँ भी रखी जाती हैं।

जब कोई भाषा 'lingua franca' के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुतासम्पन्न भाषा बन जाती है। यह तो जरूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं।

## 4.4 राजभाषा

जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं। लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न–भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की

राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी–अपनी राज्य भाषाएँ हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।

### 4.5 राष्ट्रभाषा

देश के विभिन्न भाषा–भाषियों में पारस्परिक विचार–विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है; जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कनाड़ा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया हे लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो; जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है।

उपर्युक्त सभी भाषाएँ एक–दूसरे की पूरक हैं। इसलिए यह प्रश्न निरर्थक है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि में से कौन सर्वाधिक महत्त्व का है, जरूरत है हिन्दी को अधिक व्यवहार में लाने की।

## 6. बोध प्रश्न

1. भाषा के अध्ययन से किसी समुदाय की सामाजिक अवस्था का बोध कैसे होता है ?

.....

.....

.....

2. भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए ?

.....

.....

.....

3. क्या सामाजिक विचार–विनिमय ने भाषा को जन्म दिया अथवा भाषा की उत्पत्ति ने समाज के निर्माण में योगदान दिया ?

.....

.....

.....

4. सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तःक्रिया के रूप में भाषा की विवेचना कीजिए ?

.....

.....

.....

5. 'मानक भाषा' के अर्थ को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

## 7. सारांश

भाषा एक सामाजिक क्रिया है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं। समाज में यह विचार–विनिमय का साधन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान–प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि–संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसी–न–किसी वस्तु के बारे में कहती है। वह समाज सापेक्ष होती है। उसका कोई प्रयोजन होता है और विकसित होते–होते वह मनुष्य के विचार और अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है। भाषा का सर्जनात्मक आचरण के समानान्तर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। इसका कारण यही है कि भाषाओं का सम्प्रेषणपरक प्रकार्य कई स्तरों पर और कई सन्दर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया है। प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई है।

भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी सप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक सन्दर्भों और नये प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे–धीरे विकसित हुई है और रोजी–रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है : वर्गभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि।

## 8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भाषा किसी समुदाय के सामाजिक क्रियाकलापों को समझने में सर्वाधिक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। भाषा के द्वारा समाज तथा उसकी संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। भाषा के इतिहास के अध्ययन से किसी समुदाय के विकास की कहानी जानी जा सकती है।

2. भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते विचारें और भावों का आदान–प्रदान करते हैं।

3. सामाजिक अन्तः क्रिया की आवश्यकता से भाषा का जन्म होता है और भाषा की उत्पत्ति से ही समाज का विकास होता है। मनुष्य अपने मन के भावों तथा आवश्यकताओं को समाज के अन्य सदस्यों के सम्मुख रखने की प्रेरणा से भाषा का आश्रय लेता है।

4. भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। भाषा संस्कृति का तत्त्व मात्र नहीं है, बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है, और इस कारण किसी भी समाज की विशेषताओं के अध्ययन के लिए उस समाज की भाषा का अध्ययन आवश्यक है।

5. भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषाविज्ञान कोश के अनुसार 'किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं के बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं।'

# इकाई–02 : बोलचाल की भाषा और मानक भाषा

**रूपरेखा**


1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. बोलचाल की भाषा : सामान्य परिचय
4. मानक भाषा : अर्थ एवं विशिष्टताएँ
5. मानक हिन्दी : अर्थ एवं लक्षण
   - 5.1 मानक हिन्दी के अर्थ
   - 5.2 मानक हिन्दी की विशिष्टताएँ
6. मानक हिन्दी के स्वरूप एवं प्रकार
   - 6.1 मानक हिन्दी के स्वरूप
   - 6.2 मानक हिन्दी के प्रकार
7. हिन्दी भाषा : मानक और अमानक की पहचान
8. बोध प्रश्न
9. सारांश
10. बोध प्रश्नों के उत्तर


## 1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- बोलचाल की भाषा एवं मानक भाषा का सामान्य परिचय पा सकेंगे;
- मानक भाषा की परिभाषा और उसकी विशिष्टताओं से परिचित होंगे;
- मानक हिन्दी के स्वरूप एवं लक्षण को समझ सकेंगे;
- हिन्दी भाषा के विभिन्न मानक और अमानक रूप से परिचित होंगे;

## 2. प्रस्तावना

'बोलचाल की भाषा और मानक भाषा' शीर्षक इस अध्याय में बोलचाल की भाषा का सामान्य परिचय के साथ ही मानक भाषा के सामान्य परिचय व मानक हिन्दी के स्वरूप एवं लक्षण व हिन्दी भाषा के विभिन्न मानक और अमानक रूप पर भी सविस्तार विचार किया गया है।

## 3. बोलचाल की भाषा : सामान्य परिचय

आमतौर से सामान्य भाषा के अन्तर्गत भाषा के कई रूप उभर कर आते हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ये रूप प्रमुखतः चार आधारों पर आधारित हैं– इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माता। इनमें प्रयोग क्षेत्र सबसे विस्तृत है। जब कई व्यक्ति–बोलियों में पारम्पारिक सम्पर्क होता है, तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। दूसरे शब्दों में, आपस में मिलती–जुलती बोली या उपभाषाओं में हुए व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे 'सामान्य भाषा' के नाम से जाना जाता है। पर किसी भी भाषा की भाँति यह परिवर्तनशील है, समकालीन, प्रयोगशील तथा भाषा का आधुनिकतम रूप है।

साधारणतः हिन्दी की तीन शैलियों की चर्चा की जाती है। हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी। शिक्षित हिन्दी भाषी अक्सर औपचारिक स्तर पर (भाषण, कक्षा में अध्ययन, रेडियो वार्ता, लेख आदि में) हिन्दी या उर्दू शैली का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक स्तर पर (बाजार में, दोस्तों में गपशप करते समय) प्रायः हिन्दुस्तानी का प्रयोग करते हैं। जिसमें हिन्दुस्तानी के दो रूप पाये जाते हैं। एक रूप वह है जिसमें अंग्रेजी के प्रचलित शब्द हैं और दूसरे में अगृहीत अंग्रजी शब्द का प्रचलन है। बोलचाल की हिन्दी में ये सारी शैलियाँ मौजूद रहती हैं। अर्थात् इसमें सरल बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है। चाहे वह तत्सम प्रधान हिन्दी हो या परिचित उर्दू अथवा अंग्रजी–मिश्रित हिन्दुस्तानी, व्याकरण तो हिन्दी का ही रहता है।

बोलचाल की भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। भक्तों द्वारा, साधु–संतों द्वारा, व्यापारियों के जरिए, तीर्थस्थानों में, मेला–महोत्सव में, रेल के डिब्बों में, सेना द्वारा, शिक्षितों में, मजदूर और मालिक के बीच, किसान और जमींदार के बीच बोलचाल की भाषा बड़ी तेजी से फैलने लगती है। यह प्रेम की, भाई–चारे की, इस मिट्टी की तथा हमारी संस्कृति की भाषा है। चूंकि भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति के रूप में समूचे विश्व में शुमार होती है, इसमें भाषाई अनेकरूपता का दृष्टिगत होना स्वाभाविक है। हमारी संस्कृति की भाँति हमारी भाषा हिन्दी भी अनेकता को अपने में समाहित कर राष्ट्रीय एकता की पहचान कराती है। बहुभाषी राष्ट्र की विविधता, सांस्कृतिक विशालता एवं भौगोलिक वैभिन्न्य के कारण सृष्ट बहुविध शब्दों में से कई मधुर क्षेत्रीय शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में समाये हुए हैं। इससे सहजता, बोधगम्यता के साथ–साथ एक अपनापन भी अनायास आ जाता है।

संसार की प्रत्येक बोलचाल की भाषा आगे चलकर मानक भाषा बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सहजता और सरलता। मौखिक प्रयोग के कारण कहीं कहीं शुद्धता भले ही न हो, पर बोधगम्यता और सम्प्रेषणीयता में यह सबसे आगे है। जो भाषा जितनी सम्प्रेषणीय है, वह उतनी ही समर्थ है। सम्प्रेषणीयता के बिना भाषा की उपयोगिता कहाँ रह जायगी ? सच पूछिये तो भाषा दूसरे के लिए अभिप्रेत है। वक्ता और श्रोता के बिना भाषा की कोई परिचिति नहीं है। इसी सम्प्रेषण के चलते मनुष्य अपने आसपास से लेकर सारे संसार से जुड़ता है। अपने को अच्छी तरह अभिव्यक्त करने हेतु वह अन्यन्त प्रभावशाली ढंग से भाषा का प्रयोग करता है।

सतत परिवर्तनशील होने के कारण भाषा में भिन्नता पायी जाती है। भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव को भी झूठलाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि भाषा की इन विविधताओं के बावजूद उसका एक मानक रूप होता है। फिर भी 'भाषा बहता नीर' कभी स्थिर कैसे रह सकता है। जन–जन तक फैलकर सबसे घुलमिल कर उसका एक मौखिक रूप सदा बरकरार रहता है, जो सरल, सहज, बोधगम्य और मधुर भी है।

## 4. मानक भाषा : अर्थ एवं परिभाषा

मानक भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग 'परिनिष्ठित भाषा' कहते हैं और कई लोग 'साधु भाषा'। इसे 'नागर भाषा' भी कहा जाता है । अंग्रेजी में इसे 'Standard Language' कहते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। मानक भाषा का अर्थ होगा, ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है अर्थात् मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं, जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम पत्र–व्यवहार में मानक भाषा ही लिखते हैं। समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है, वह भी मानक ही होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में ही सम्पन्न होते हैं। कहने का आशय यह है कि मानक भाषा हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है और हम उसी के माध्यम से एक–दूसरे तक पहुँचते हैं। मानक भाषा हमारी बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुँचाती है जो हमारा आशय होता है। अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा

होती है, वह व्याकरण सम्मत होती है और उसमें निश्चत अर्थ सम्प्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और सम्प्रेषण की एकरूपता उसका सबसे बड़ा लक्षण है। यह भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाती है। धीरे–धीरे इस मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण, उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है और इसका प्रसार और विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। इस प्रकार मानक भाषा की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है :

*''मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करता है।''*

इसी के आधार पर मानक भाषा के निम्नलिखित लक्षण निश्चित होते हैं :

1. वह व्याकरणसम्मत होती है।
2. वह सर्वमान्य होती है।
3. उससे क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात् वह एकरूप होती है।
4. वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य सम्पादित करने में सक्षम होती है।
5. वह सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। उसके सम्प्रेषण से काई भ्रान्ति नहीं होती।
6. वह नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर विकसित होती रहती है।
7. नये शब्दों के ग्रहण और निर्माण में वह समर्थ होती है।
8. वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता अथवा शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढाँचा सुदृढ़ एवं स्थिर होता है।
9. उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है।
10. वह परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रान्त होती है।

इस दृष्टि से आज हिन्दी भी एक मानक भाषा है अर्थात् जहाँ–जहाँ हिन्दी लिखी या पढ़ी जाती है या पढ़े–लिखे लोग उसका व्यवहार करना

चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्याकरणसम्मत हो और उसका व्याकरण वही हो जो सर्वमान्य है।

## 5. मानक हिन्दी : अर्थ एवं विशिष्टताएँ

### 5.1 मानक हिन्दी के अर्थ

मानक हिन्दी भाषा का अर्थ हिन्दी भाषा के उस स्थिर रूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप है। इसलिए वह सभी लोगों द्वारा मान्य है, सभी लोगों द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। अन्य भाषा रूपों के मुकाबले वह अधिक प्रतिष्ठित है। मानक हिन्दी भाषा ही देश की अधिकृत हिन्दी भाषा है। वह राजकाज की भाषा है। ज्ञान, विज्ञान की भाषा है, साहित्य–संस्कृति की भाषा है। अधिकांश विद्वान, साहित्यकार, राजनेता औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर जिस हिन्दी में समाचार प्रसारित होते हैं, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जिस हिन्दी का प्रयोग होता है, जिस हिन्दी में सामान्यतः मूल लेखन व अधिकृत अनुवाद होता है, वह मानक हिन्दी भाषा ही है। मानक हिन्दी भाषा, हिन्दी के विभिन्न रूपों में सर्वमान्य रूप है। वह रूप पूरी तरह सुनिश्चित व सुनिर्धारित है तथापि इसमें गतिशीलता भी है।

### 5.2 मानक हिन्दी की विशिष्टताएँ

मानक भाषा के जितने लक्षण ऊपर बतलाए गए हैं वे सभी लक्षण मानक हिन्दी भाषा में विद्यमान हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मानक भाषा में चार तत्त्वों का होना आवश्यक है– 1. ऐतिहासिकता, 2. मानकीकरण, 3. जीवन्तता और 4. स्वायत्तता। ये चारों तत्त्व मानक हिन्दी भाषा में विद्यमान हैं । हिन्दी भाषा की ऐतिहासिकता तो सर्वविदित है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, विपुल साहित्यिक परम्परा है। शताब्दियों से लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। हिन्दी का मानक रूप भी गत शताब्दी में आकार लेने लगा था। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान हिन्दी का मानक स्वरूप विकसित होने लगा और स्वतंत्रता के पश्चात तो हिन्दी का मानक स्वरूप सुनिश्चित व सुनिर्धारित हो गया। मानक हिन्दी में जीवन्तता भी है। जीवन्तता इसी से सिद्ध होती है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. जयन्त नारलीकर 'ब्रह्माण्ड के स्वरूप' पर अपना व्याख्यान मानक हिन्दी भाषा में देते हैं। कविता और कहानी से लेकर विज्ञान और दर्शन तक सभी क्षेत्रों में आज मानक हिन्दी भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा नए युग के साथ चलने में पूरी तरह सक्षम है। मानक हिन्दी में

स्वायत्तता भी है। वह किसी अन्य भाषा पर टिकी हुई नहीं है। उसकी स्वतंत्र शब्दावली और अपना व्याकरण है। इन चारों तत्त्वों के प्रकाश में यही कहा जा सकता है कि मानक हिन्दी भाषा एक सशक्त गतिशील और सर्वमान्य भाषा है।

## 6. मानक हिन्दी के स्वरूप एवं प्रकार

### 6.1 मानक हिन्दी के स्वरूप

हिन्दी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिन्दी भाषा की एक बोली, जिसका नाम खड़ीबोली है के आधार पर हुआ है। हिन्दी मानक भाषा है, जबकि खड़ीबोली उसकी आधारभूत भाषा का वह क्षेत्रीय रूप है जो दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर आदि में बोला जाता है। खड़ीबोली क्षेत्र में रहने वाले प्रायः प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति द्वारा जो कुछ बोला जाता है वह खड़ीबोली है किन्तु जैसे ब्रज, बुन्देली, निमाड़ी अथवा मारवाड़ी क्षेत्रो में हिन्दी की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति परस्पर सम्भाषण अथवा औपचारिक अवसरों पर मानक हिन्दी बोलते हैं वैसे ही खड़ीबोली क्षेत्र के व्यक्ति भी औपचारिक अवसरों पर मानक हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हम इसको इस तरह समझें– मैथिलीशरण गुप्त चिरगाँव के थे। वे घर में बुन्देलखण्डी बोलते थे। हजारीप्रसाद द्विवेदी बलिया के थे, वे घर में भोजपुरी बोलते थे किन्तु ये सभी व्यक्ति जब साहित्य लिखते हैं तो मानक हिन्दी का व्यवहार करते हैं। संक्षेप में मानक भाषा अपनी भाषा का एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक स्तर है। अब हम हिन्दी के निम्नलिखित चार वाक्य लेंगे और देखेंगे कि मानक भाषा की कसौटी पर कौन–सा वाक्य सही उतरता है :

1. मैंने भोजन कर लिया है।

2. मैंने खाना खा लिया है।

3. मैंने खाना खा लिया हूँ।

4. हम खाना ख लिये हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय एवं सामाजिक भिन्नताओं के आधार पर तीसरे एवं चौथे प्रकार्यात्मक स्तरों के अनेक भेद हो सकते हैं। किन्तु पहले या दूसरे वाक्य का व्यवहार औपचारिक स्तर पर मानक भाषा में सर्वत्र होगा। हिन्दी का सही रूप जो सर्वत्र एक–सा है, सर्वमान्य है, व्याकरणसम्मत है और सम्भ्रांत है, मानक हिन्दी का वाक्य है।

## 6.2 मानक हिन्दी के प्रकार

हिन्दी के अनेक रूप हैं और अनेक अर्थ हैं। हिन्दी के सारे रूपों को हम सुविधा के लिए दो वर्गों में बाँट सकत हैं–

1. सामान्य हिन्दी

2. क्षेत्रीय बोलियाँ

हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियाँ छोटे–छोटे क्षेत्रों या छोटे–छोटे समुदायों के बीच ही प्रचलित हैं। सामान्य हिन्दी इन सब रूपों का महत्तम–समापवर्तक रूप है। यदि बोलीगत सारे रूप हिन्दी की परिधि पर हैं तो उनका एक रूप ऐसा भी है जो केन्द्रवर्ती रूप है। वह केन्द्रवर्ती रूप ही मानक हिन्दी का रूप है। विभिन्न बोलियों के क्षेत्रीय अथवा सामुदायिक रूपों का मानक भाषा के रूप में पर्यवसान कई कारणों से होता है। इन कारणों को हम संक्षेप में निम्नानुसार उल्लिखित कर सकते हैं–

1. एक–सी शिक्षा का प्रसार
2. यातायत की सुविधाओं का विस्तार
3. जनसंचार माध्यमों की लोकप्रियता
4. महानगरों का विकास
5. साहित्य की वृद्धि और मुद्रित अक्षर की व्यापकता
6. सिनेमा का प्रभाव
7. सरकारी नौकरी में स्थानान्तरण
8. सैनिकों की भर्ती
9. राष्ट्रीय एकता की चेतना।

उपर्युक्त कारणों से धीरे–धीरे ऐसी हिन्दी का निर्माण और प्रचलन हुआ जो हिन्दी के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में समान रूप से समझी जा सकती है और उसका व्यवहार किया जा सकता है।

हमारे देश में औद्योगिकीकरण जिस गति से हो रहा है उससे भी क्षेत्रीय और सामुदायिक बोलियों के स्थान पर एक सामान्य भाषा फैल रही है। हिन्दी की शिक्षा का प्रसार भी इन दिनों बहुत हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रभाव के कारण मानक हिन्दी सामान्य जन तक पहुँच रही है।

## 6. हिन्दी भाषा : मानक और अमानक की पहचान

मानक भाषा लिखने के काम आती है और बोलने के भी। लिखित और उच्चरित मानक हिन्दी के जो प्रयोग व्याकरणसम्मत, सर्वमान्य, एकरूप और परिनिष्ठित है उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- बहुत से लोग बड़ी 'ई' की मात्रा का गलत प्रयोग करते हैं, जैसे शक्ती, तिथी, कान्ती, शान्ती। वास्तव में इनके मानक रूप है– शक्ति, तिथि, कान्ति, शान्ति आदि।
- बहुत से लोग 'ऋ' को रि बोलते हैं जैसे रिण, रीता। यह अमानक प्रयोग है; किन्तु 'ऋ' अब शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। उच्चारण में 'रि' को 'ऋ' का उच्चारण स्वीकार कर लिया गया है किन्तु लिखने में संस्कृत शब्दों में 'ऋ' ही मानक प्रयोग है जैसे– ऋण, ऋता आदि।
- हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हो गए हैं जिनमें 'ॉ' की ध्वनि होती है। जैसे– डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। हिन्दी में डाक्टर, कालेज, आफिस बोलना या लिखना अमानक प्रयोग माना जाता है।
- कुछ शब्द 'इ' और 'ई' देनों मात्राओं से लिखे जाते हैं जैसे– हरि/हरी, स्वाति/स्वाती। किन्तु व्यक्ति के नाम का मानक रूप वही माना जाता है जो नियम द्वारा मान्य है या वह स्वयं लिखता है जैसे–डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सही है, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय नहीं, क्योंकि डॉ. हरीसिंह, अपना नाम हरीसिंह लिखते थे।
- कुछ लोग कुछ शब्दों में बड़ी 'ई' के स्थान पर छोटी 'इ' की मात्रा लगाते हैं। जैसे श्रीमति, मैथिलिशरण। ये अमानक प्रयोग है। इनके मानक रूप है– श्रीमती, मैथिलीशरण।
- ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के अन्त में ह्रस्व 'उ' का प्रयोग मानक है, दीर्घ 'ऊ' का नहीं

| **मानक** | **अमानक** |
|---|---|
| इन्दु | इन्दू |
| प्रभु | प्रभू |
| शम्भु | शम्भू |

- हिन्दी में 'र' के साथ जब 'उ' अथवा 'ऊ' की मात्रा लगायी जाती है तब उसका रूप होता है 'रुपया' अथवा 'रूप'।

- जिन शब्दों में हिन्दी में 'औ' की मात्रा होती है, उनका उच्चारण 'अ' 'उ' की तरह करना चाहिए, ओ की तरह नहीं। जैसे 'औरत' का मानक उच्चारण 'अउरत' की तरह होगा, 'ओरत' की तरह नहीं। इसी प्रकार 'ए' का उच्चारण भी सावधानी से करना चाहिए। 'मैं' का उच्चाारण 'मँय' की तरह होगा 'में' की तरह नहीं। 'सेनिक', 'गोरव' उच्चारण अमानक है, 'सैनिक', 'गौरव' आदि मानक।
- संस्कृत के शब्दों में दो स्वरों को एक साथ लिखना अमानक है, जैसे 'स्थाई' अमानक है, मानक 'स्थायी' है।
- हिन्दी में आजकल अनुनासिक चिह्न चन्द्रबिन्दु( ँ ) के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाने लगा है, जैसे 'हँस' के स्थान पर 'हंस'। ऐसा लोग लापरवाही के कारण करते हैं। मुद्रण की सुविधा के लिए भी अब हिन्दी में अनुनासिक चिह्न एवं चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाने लगा है, जैसे कुंवर, मां, बांस आदि, परन्तु इनके मानक रूप हैं : कुँवर, माँ, बाँस।
- जिन शब्दों के अन्त में 'ई' या 'ई' की मात्रा ( ी) होती है उनका जब बहुवचन बनाया जाता है तो वह ह्रस्व 'इ' की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मिठाई–मिठाइयाँ, दवाई–दवाइयाँ, लड़की–लड़कियाँ आदि। इसी प्रकार यदि शब्द के अन्त में 'ऊ' की मात्रा हो तो उनके बहुवचन में ह्रस्व 'उ' की मात्रा हो जाती है, जैसे आँसू–आँसुओं, लड्डू–लड्डुओं आदि।
- मानक हिन्दी में अब 'क' के 'क़' का प्रयोग भी होने लगा है। 'क़' विदेशी(फ़ारसी, अंग्रेजी) शब्दों में आता है जैसे 'क़लम'। इसी प्रकार ख़, ग़, ज़, फ़ ध्वनियाँ भी हिन्दी में स्वीकार कर ली गयी हैं। ख़त, ग़ैरत, ज़नाब, सफ़ा, बोलना पढ़े–लिखे होने की निशानी मानी जाती है।
- 'व' और 'ब' में भेद होता है। 'व' के स्थान पर 'ब' बोलना उचित नहीं है। इस प्रकार 'ज्ञ' और 'क्ष' केवल संस्कृत शब्दों में ही प्रयुक्त होता है।
- हिन्दी में 'श', 'ष', 'स' तीन अलग–अलग ध्वनियाँ हैं– सड़क, शेष, विष, षटकोण आदि मानक शब्द रूप हैं
- 'ष्ट' और 'ष्ठ' का उच्चारण प्रायः भ्रम उत्पन्न करता है। इनके बोलने और लिखने में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे 'इष्ट', 'नष्ट', 'भ्रष्ट', 'स्वादिष्ट', 'कनिष्ठ, ज्येष्ठ, घनिष्ठ, प्रतिष्ठा आदि।

- रेफ लगाने में प्रायः भूल होती है। रेफ वास्तव में 'र' का हलन्त रूप है। यह जहाँ बोला जाता है, सदैव उसके आगे के अक्षर पर लगता है। जैसे कर्म, धर्म, आशीर्वाद आदि। आर्शीवाद लिखना गलत है।
- संस्कृत में रेफ से संयुक्त व्यंजन का द्वित्व होता भी है और नहीं भी होता। कर्त्तव्य, कर्तव्य, अर्द्ध, अर्ध, आर्य्य, आर्य, भार्य्या, भार्या आदि दोनों रूप मानक हैं। हिन्दी में भी ये दोनों रूप शुद्ध स्वीकारे गये हैं परन्तु निम्नलिखित शब्दों का द्वित्व अलग नहीं किया जा सकता : महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, निस्संदेह, निश्शंक ही शुद्ध रूप हैं; महत्व, तत्व, उज्वल, निसंदेह, निशंक नहीं।
- हिन्दी में नया, गया, लाया तो ठीक माने जाते हैं। पर उनके स्त्रीवाची रूप कभी नयी, ंगयी, लायी लिखे जाते हैं, तो कभी नई, गई, लाई। वास्तव में आई और आयी, लाई और लायी, भाई और भायी में फर्क होता है। देखिए :

  | | |
  |---|---|
  | आई | मा (मराठी में) |
  | आयी | आया क्रिया का स्त्रीलिंग रूप |
  | लाई | धान का खिला हुआ रूप |
  | लायी | लाया का स्त्रीलिंग रूप |
  | भाई | बन्धु |
  | भायी | भाया क्रिया का स्त्रीलिंग रूप |

  इस प्रकार 'बनिए' ओर 'बनिये' में भी अन्तर करना चाहिए। 'बनिए' बनना क्रिया का रूप है जबकि 'बनिये' बनिया का बहुवचन है। जिन शब्दों के एकवचन में य हो, उनके बहुवचन और स्त्रीलिंग रूपों में भी य ही होना चाहिए।
- सम्बोधन में बहुत से लोग देशवासियों, भाइयों जैसे प्रयोग करते हैं। यह अमानक हैं। सम्बोधन बहुवचन में 'ओ' का प्रयोग होना चाहिए, 'ओं' का नहीं।
- हिन्दी में जन, गण, वृन्द जैसे शब्द बहुवचनवाची है अतः गुरुजन, विधायक गण, पक्षी वृन्द ही सही हैं. गुरुजनों, विधायक गणों पक्षी वृन्दों जैसे रूप आमानक हैं।
- हिन्दी के कारक चिह्नों में सबसे अधिक कठिनाई 'ने' को लेकर होती है। मानक हिन्दी में 'ने' का प्रयोग कर्ता–कारक में सकर्मक धातुओं से बने भूतकालिक क्रिया रूपों के साथ होता है। जैसे :

  1. मैंने कहा।

2. राम ने रावण को मारा

3. मैंने गाना गायां

किन्तु निम्न वाक्यों में 'ने' का प्रयोग अमानक है–

1. मैं ने हँसा।

2. राम ने बहुत रोया।

- मानक हिन्दी में विशेषण का लिंग, संज्ञा के लिंग के अनुरूप बदलने की परिपाटी नहीं है। संस्कृत में सुन्दर बालक किन्तु सुन्दरी बालिका जैसे प्रयोग प्रचलित है। हिन्दी में हम सुन्दर लड़की और सुन्दर लड़का कहते हैं। वास्तव में हिन्दी में संज्ञा के लिंग के अनुरूप विशेषण का लिंग नहीं बदला जाना चाहिए।
- निश्चयवाचक अव्यय के रूप में हिन्दी में 'न', 'नहीं' और 'मत' मानक हैं, 'ना' नहीं। इस तरह के वाक्य ठीक नहीं हैं– 'ना वह बैठा और ना ही उसने बात की।'

वास्तव में भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः जिन शब्दों, अभिव्यक्तियों और वाक्य रूपों का मानकीकरण हो चुका है, उनका पालन करना चाहिए।

## 8. बोध प्रश्न

1. मानक भाषा के लक्षण को रेखांकित कीजिए ?

.....

.....

.....

2. 'बोलचाल की हिन्दी' कहने से आप क्या समझते हैं ?

.....

.....

.....

3. 'मानक भाषा' के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

## 9. सारांश

जब कई व्यक्ति–बोलियों में पारम्पारिक सम्पर्क होता है, तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। दूसरे शब्दों में, आपस में मिलती–जुलती बोली या उपभाषाओं में हुए व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे 'सामान्य भाषा' के नाम से जाना जाता है।

मानक हिन्दी भाषा का अर्थ हिन्दी भाषा के उस स्थिर रूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप है। इसलिए वह सभी लोगों द्वारा मान्य है, सभी लोगों द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। अन्य भाषा रूपों के मुकाबले वह अधिक प्रतिष्ठित है। मानक हिन्दी भाषा ही देश की अधिकृत हिन्दी भाषा है। वह राजकाज की भाषा है। ज्ञान, विज्ञान की भाषा है, साहित्य–संस्कृति की भाषा है। अधिकांश विद्वान, साहित्यकार, राजनेता औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं।

हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियाँ छोटे–छोटे क्षेत्रों या छोटे–छोटे समुदायों के बीच ही प्रचलित हैं। सामान्य हिन्दी इन सब रूपों का महत्तम–समापवर्तक रूप है। यदि बोलीगत सारे रूप हिन्दी की परिधि पर हैं तो उनका एक रूप ऐसा भी है जो केन्द्रवर्ती रूप है। वह केन्द्रवर्ती रूप ही मानक हिन्दी का रूप है।

## 10. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3
2. देखें भाग 4
3. देखें भाग 6

# इकाई–03 : सम्पर्क भाषा(जनभाषा) के रूप में हिन्दी

**रूपरेखा**


1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. सम्पर्क भाषा : परिभाषा और सामान्य परिचय
4. सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी
5. बोध प्रश्न
6. सारांश
7. बोध प्रश्नों के उत्तर


## 1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- सम्पर्क भाषा का सामान्य परिचय पा सकेंगे;
- सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की महत्ता को रेखांकित कर सकेंगे;
- राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा के अंतःसम्बन्ध को समझ सकेंगे;

## 2. प्रस्तावना

भारत जैसे बहुभाषा–भाषी देश में सम्पर्क भाषा की महत्ता असंदिग्ध है। इसी के मद्देनजर 'सम्पर्क भाषा (जनभाषा) के रूप में हिन्दी' शीर्षक इस अध्याय में सम्पर्क भाषा का सामान्य परिचय देने के साथ–साथ सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के स्वरूप एवं राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा के अंतःसम्बन्ध पर भी विचार किया गया है।

## 3. सम्पर्क भाषा (जनभाषा) : परिभाषा एवं सामान्य परिचय

भाषा की सामान्य परिभाषा में यह कहा जा चुका है कि 'भाषा मनुष्य के विचार–विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है।' सम्पर्क भाषा का आशय जनभाषा है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जनभाषा है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष की संपर्क भाषा ही जनभाषा है। इसलिए जरूरी नहीं कि जनभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप वाली ही हो या वह व्याकरण के नियम से बंधी हो।

सम्पर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार–विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा–भाषी वर्गों के बीच सम्प्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह सम्पर्क भाषा कहलाती है। इस प्रकार 'सम्पर्क भाषा' की सामान्य परिभाषा होगी : 'एक भाषा–भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके, उसे सम्पर्क भाषा या जनभाषा (Link Language) कहते हैं।'

बकौल डॉ. पूरनचंद टंडन 'सम्पर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो समाज के विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच सम्पर्क के काम आती है। इस दृष्टि से भिन्न–भिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच हिन्दी एक सम्पर्क भाषा है और अन्य कई भारतीय क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न भाषाएँ बोलने वालों के बीच भी सम्पर्क भाषा है।'(*–आजीविका साधक हिन्दी, पृ. 151*) डॉ. महेन्द्र सिंह राणा ने सम्पर्क भाषा को इन शब्दों में परिभाषित किया है : 'परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य, कोई राज्य और केन्द्र तथा दो देश सम्पर्क स्थापित कर पाते हैं, उस भाषा विशेष को सम्पर्क भाषा या सम्पर्क साधक भाषा (Contact Language or Interlink Language) कहा जा सकता है।'(*–प्रयोजनमूलक हिन्दी के आधुनिक आयाम, पृ. 79*) इस क्रम में डॉ. दंगल झाल्टे द्वारा प्रतिपादित परिभाषा उल्लेखनीय है– 'अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति–व्यक्ति, राज्य–राज्य, राज्य–केन्द्र तथा देश–विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है, उसे सम्पर्क भाषा (Contact or Inter Language) की संज्ञा दी जा सकती है।'(*–प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग, पृ. 53*)

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सम्पर्क भाषा मात्र दो या दो से अधिक भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों के बीच सम्पर्क का माध्यम नहीं बनती, जो एक–दूसरे की भाषा से परिचित नहीं है, अपितु दो या दो से अधिक भिन्न–भिन्न भाषा–भाषी राज्यों के बीच तथा केन्द्र और राज्यों के बीच भी सम्पर्क स्थापित करने का माध्यम बन सकती है।

## 4. सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी

भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषा–भाषी देश में सम्पर्क भाषा का विशेष महत्त्व है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परम्परा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और जहाँ लोगों के रीति–रीवाजों, खान–पान, पहनावे और रहन–सहन तक में भिन्नता हो वहाँ सम्पर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने सम्पर्क भाषा के प्रयोग क्षेत्र को तीन स्तरों पर विभाजित किया है : एक तो वह भाषा जो एक राज्य (जैसे महाराष्ट्र या असम) से दूसरे राज्य (जैसे बंगाल या असम) के राजकीय पत्र–व्यवहार में काम आए। दूसरे वह भाषा जो केन्द्र और राज्यों के बीच पत्र–व्यवहारों का माध्यम हो। और तीसरे वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र/प्रदेश का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र/प्रदेश के व्यक्ति से अपने निजी कामों में करें।

आजादी की लड़ाई लड़ते समय हमारी यह कामना थी कि स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होगी जिससे देश एकता के सूत्र में सदा के लिए जुड़ा रहेगा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि सभी महापुरुषों ने एक मत से इसका समर्थन किया, क्योंकि हिन्दी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आन्दोलनों की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाधीनता आन्दोलन की अभिव्यक्ति की भाषा भी रही है।

भारत में 'हिन्दी' बहुत पहले सम्पर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले से 'राष्ट्रभाषा' कहलाती है क्योंकि हिन्दी की सार्वदेशिकता सम्पूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों– चाहे वह प्रयाग में कुंभ हो अथवा अजमेर शरीफ की दरगाह हो या विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थस्थल हों– सभी स्थानों पर आदान–प्रदान की भाषा के

रूप में हिन्दी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। इस प्रकार इन सांस्कृतिक परम्पराओं से हिन्दी ही सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृढ़ शृंखला के रूप में हिन्दी ही सशक्त भाषा बनीं। हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत है।

सम्पर्क भाषा हिन्दी का आयाम, जनभाषा हिन्दी, सबसे व्यापक और लोकप्रिय है जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित, तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम में जनभाषा हिन्दी का व्यवहार करते हैं। भारत की लिंग्वे फ्रांका, लैंग्विज आव वाइडर कम्युनिकेशन, पैन इंडियन लैंग्विज, अन्तर प्रादेशिक भाषा, लोकभाषा, भारत–व्यापी भाषा, अखिल भारतीय भाषा– ये नाम 'जनभाषा' हिन्दी के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमारे देश की बहुभाषिकता के ढाँचे में हिन्दी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा–व्यवहार के क्षेत्रों में भी सम्पर्क सिद्धि का ऐसा प्रकार्य निष्पादित कर रही है जिसका, न केवल कोई विकल्प नहीं, अपितु जो हिन्दी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में भी समर्थ है।

हिन्दी ने पिछले हजार वर्षों में विचार–विनिमय का जो उत्तरदायित्व निभाया है वह एक अनूठा उदाहरण है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दी पहले 'राष्ट्रभाषा' कहलाती थी, बाद में इसे 'सम्पर्क भाषा' कहा जाने लगा और अब इसे 'राजभाषा' बना देने से इसका क्षेत्र सीमित हो गया है। वस्तुतः यह उनका भ्रम है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि हिन्दी सदियों से सम्पर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक साथ रही है और आज भी है। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेने से उसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है। जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को क्रमशः बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि की राजभाषा बनाया गया है। ऐसा होने से क्या उन भाषाओं का महत्त्व कम हो गया है ? निश्चय ही नहीं। बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और प्रयोग क्षेत्र पहले से अधिक बढ़ गया है। जहाँ पहले केवल परस्पर बोलचाल में काम आती थी या उसमें साहित्य की रचना होती थी, वहीं अब प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं। यही स्थिति हिन्दी की भी है। इस प्रकार हिन्दी सम्पर्क और राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा बनाकर इसे अतिरिक्त सम्मान प्रदान किया गया है। इस प्रसंग में डॉ. सुरेश कुमार का कथन बहुत ही प्रासंगिक है : 'हिन्दी को केवल सम्पर्क भाषा के रूप में देखना भूल होगी। हिन्दी, आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्‌भव काल से मध्यदेश के निवासियों के सामाजिक सम्प्रेषण तथा साहित्यिक–सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा रही है

और अब भी है। भाषा–सम्पर्क की बदली हुई परिस्थितियों में (जो पहले फ़ारसी–तुर्की –अरबी तथा बाद में मुख्य रूप से अंग्रेजी के साथ सम्पर्क के फलस्वरूप विकसित हुई) तथा स्वतंत्र भारतीय गणराज्य में सभी भारतीय भाषाओं को अपने–अपने भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक और सांस्कृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाने के निर्णय के बाद, हिन्दी का सम्पर्क भाषा प्रकार्य, गुण और परिमाण की दृष्टि से इतना विकसित हो गया है कि उसके सम्बन्ध में चिन्तन तथा अनुवर्ती कार्य, एक सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आवश्यकता बन गए हैं।' वास्तव में भाषा सम्पर्क की स्थिति ही किसी सम्पर्क भाषा के उद्‌भव और विकास को प्रेरित करती है या एक सुप्रतिष्ठित भाषा के सम्पर्क प्रकार्य को संपुष्ट करती है। हिन्दी के साथ दोनों स्थितियों का सम्बन्ध है। आन्तरिक स्तर पर हिन्दी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के बीच सम्पर्क की स्थापना करती रही है और अब भी कर रही है, तथा बाह्य स्तर पर वह अन्य भारतीय भाषा भाषी समुदायों के मध्य एकमात्र सम्पर्क भाषा के रूप में उभर आई है जिसके अब विविध आयाम विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिन्दी का वर्तमान गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य–जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है।

## 6. बोध प्रश्न

1. सम्पर्क भाषा की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

2. भारत की सम्पर्क भाषा 'हिन्दी' है– इस कथन को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

## 7. सारांश

सम्पर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार–विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा–भाषी वर्गों के बीच

सम्प्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह सम्पर्क भाषा कहलाती है।

सम्पर्क भाषा हिन्दी का आयाम, जनभाषा हिन्दी, सबसे व्यापक और लोकप्रिय है जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित, तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम में जनभाषा हिन्दी का व्यवहार करते हैं। हमारे देश की बहुभाषिकता के ढाँचे में हिन्दी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा–व्यवहार के क्षेत्रों में भी सम्पर्क सिद्धि का ऐसा प्रकार्य निष्पादित कर रही है जिसका, न केवल कोई विकल्प नहीं, अपितु जो हिन्दी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में भी समर्थ है।

## 8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3
2. देखें भाग 4

# इकाई–04 : राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी

**रूपरेखा**


1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा
4. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी
5. राजभाषा के रूप में हिन्दी
    - 5.1 राजभाषा हिन्दी की विशेषताएँ
    - 5.2 राजभाषा : स्वरूप एवं क्षेत्र
6. बोध प्रश्न
7. सारांश
8. बोध प्रश्नों के उत्तर


## 1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का परिचय पा सकेंगे;
- राष्ट्रभाषा के स्वरूप को समझ सकेंगे;
- राजभाषा के स्वरूप को समझ सकेंगे;
- राजभाषा की विशेषताएँ एवं उसके प्रयोग क्षेत्र से परिचित होंगे;

## 2. प्रस्तावना

'राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी' शीर्षक इस अध्याय में राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का सामान्य परिचय व उनके स्वरूप की चर्चा की गई है। इसके अलावा राजभाषा की विशेषताएँ एवं उसके प्रयोग क्षेत्र पर भी सविस्तार विचार किया गया है।

## 3. राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा

समाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है साहित्य की भाषा उसी का परिष्कृत रूप है। भाषा का आदर्श रूप यही है जिसमें विशाल समुदाय अपने विचार प्रकट करता है। अर्थात् वह उसका शिक्षा, शासन और साहित्य की रचना के लिए प्रयोग करता है। इन्हीं कारणों से जब भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होकर समस्त राष्ट्र में व्याप्त हो जाता है तब वह भाषा 'राष्ट्रभाषा' कहलाती है।

'राष्ट्रभाषा' का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं सम्पर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लाँघकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जन मानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। वही भाषा सच्ची राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति सारे राष्ट्र की प्रवृत्ति हों जिस पर समस्त राष्ट्र का प्रेम हो। राष्ट्र के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को संवहन करने की शक्ति होती है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र के जन–जीवन की आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं एवं आदर्शों को चित्रित करने की अद्‌भुत शक्ति होती है। एक देश में कई भाषाएँ बोली जाती हैं परन्तु उनमें से किसी एक भाषा को ही राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा समझी और बोली जाने वाली भाषा होती है।

'राजभाषा' का सामान्य अर्थ है– राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य सम्पादित किए जाएँ वही 'राजभाषा' कहलाती है। भारत जैसी जनतंत्रात्मक प्रणाली में दोहरी शासन पद्धति होती है : 1. केन्द्र की शासन पद्धति और 2. राज्य की शासन पद्धति। इस कारण राजभाषा की स्थिति भी दो प्रकार की होती है। प्रथम केन्द्रीय अथवा संघ की राजभाषा तथा द्वितीय राज्यों की राजभाषा। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने 'राजभाषा' को परिभाषित करते हुए कहा है : 'राजभाषा उसे कहते हैं जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र–व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा–पढ़ी के काम में लाई जाए।'

उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के भाग–17 का शीर्षक है 'राजभाषा'। इसका अध्याय–1 'संघ की भाषा' के विषय में है। इसके अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 344 'राजभाषा' के सम्बन्ध में आयोग और संसद की समिति के बारे में है। अध्याय–2 का शीर्षक है : 'प्रादेशिक भाषाएँ', इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 345 'राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ' सम्बन्धी है, अनुच्छेद 346 'एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा' विषयक है। इन अनुच्छेदों में कहीं किसी भाषा को 'राष्ट्रीय भाषा' भी नहीं कहा गया। परन्तु उसके अनुच्छेद 351 में हिन्दी के 'राष्ट्रभाषा' रूप की ही कल्पना की गई है। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दवली आयोग बना, उसने शब्दावली इस प्रकार तैयार की है कि वह केवल हिन्दी भाषा के लिए ही काम न आए बल्कि उसका प्रयोग सामान्यतः अन्य भाषाओं में भी हो सके। जिन दिनों संविधान सभा में भाषा के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई, अनेक सदस्यों ने हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया। इससे संविधान सभा के सदस्यों की भावना का पता चलता है।

## 4. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी

हिन्दी का लगभग एक हजार वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दी ग्यारहवीं शताब्दी से ही प्रायः अक्षुण्ण रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। चाहे राजकीय प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फरासी और बाद में अंग्रजी को मान्यता प्राप्त रही, किन्तु समूचे राष्ट्र के जन–समुदाय के आपसी सम्पर्क, संवाद–संचार, विचार–विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और जीवन–व्यवहार का माध्यम हिन्दी ही रही।

ग्यारहवीं सदी में हिन्दी के आविर्भाव से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की विकास परम्परा को मुख्यतः तीन सोपानों में बाँटा जा सकता है– आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के आरम्भ में तेरहवीं सदी तक भारत में जिन लोक–बोलियों का प्रयोग होता था, वे प्रायः संस्कृत की उत्तराधिकारिणी प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई थीं। कहीं उन्हें देशी भाषा कहा गया, कहीं अवहट्ट और कहीं डींगल या पिंगल। ये उपभाषाएँ बोलचाल, लोकगीतों, लोक–वार्त्ताओं तथा कहीं–कहीं काव्य रचना का भी माध्यम थीं। बौद्व मत के अनुयायी भिक्षुओं, जैन–साधुओं, नाथपंथियों जोगियों

और महात्माओं ने विभिन्न प्रदेशों में धूम–धूम कर वहाँ की स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में अपने विचार और सिद्धान्तों को प्रचारित–प्रसारित किया। असम और बंगाल से लेकर पंजाब तक और हिमालय से लेकर महाराष्ट्र तक सर्वत्र इन सिद्व–साधुओं, मुनियों–योगियों ने जनता के मध्य जिन धार्मिक–आध्यात्मिक–सांस्कृतिक चेतना का संचार किया उसका माध्यम लोक–बोलियाँ या जन–भाषाएँ ही थीं, जिन्हें पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने 'पुरानी हिन्दी' का नाम दिया है। इन्हीं के समानान्तर मैथिली–कोकिल विद्यापति ने जिस सुललित मधुर भाषा में राधाकृष्ण–प्रणय सम्बन्धी सरस पदावली की रचना की, उसे उन्होंने 'देसिल बअना' (देशी भाषा) या 'अवहट्ट' कहा। पंजाब के अट्टहमाण ( अब्दुर्रहमान) ने 'संदेश रासक' की रचना परवर्ती अपभ्रंश में की, जिसे पुरानी हिन्दी का ही पूर्ववर्ती रूप माना जा सकता है। रासो काव्यों की भाषा डींगल मानी गई जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही एक प्रकार है। सबसे पहले इसी पुरानी हिन्दी को 'हिन्दुई', हिन्दवी', अथवा 'हिन्दी' के नाम से पहचान दी अमीर खुसरो ने।

वस्तुतः आदिकाल में लोक–स्तर से लेकर शासन–स्तर तक और सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर साहित्यिक क्षेत्र तक हिन्दी राष्ट्रभाषा की कोटि की ओर अग्रसर हो रही थी।

मध्यकाल में भक्ति आन्दोलन के प्रभाव से हिन्दी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जनभाषा बन गई। भारत के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में सांस्कृतिक ऐक्य के सूत्र होने का श्रेय हिन्दी को ही है। दक्षिण के विभिन्न दार्शनिक आचार्यों ने उत्तर भारत में आकर संस्कृत का दार्शनिक चिन्तन हिन्दी के माध्यम से लोक–मानस में संचारित किया। दूसरे शब्दों में कहें तो हिन्दी व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा बन गई।

आधुनिक काल में हिन्दी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गई। वर्षों पहले अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया भाषाई कूटनीति का जाल हमारी भाषा के लिए रक्षाकवच बन गया। विदेशी अंग्रेजी शासकों को समूचे भारत राष्ट्र में जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, प्रसार और प्रभाव दिखाई दिया, वह हिन्दी थी, जिसे वे लोग हिन्दुस्तानी कहते थे। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो चाहे स्वाधीनता संग्राम का, हर जगह हिन्दी ही जनता के भाव–विनिमय का माध्यम बनी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी सरीखे राष्ट्र–पुरुषों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के ही जरिए समूचे राष्ट्र से सम्पर्क किया और

सफल रहै। तभी तो आजादी के बाद संविधान–सभा ने बहुमत से 'हिन्दी' को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था।

भारत की राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने इंदौर में 20 अप्रैल 1935 को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था : 'अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज इसका साम्राज्य–सा जरूर दिखाई देता है। इससे बचने के लिए काफी प्रयत्न करते हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अंग्रेजी ने बहुत स्थान ले रखा है लेकिन इससे हमें इस भ्रम में कभी न पड़ना चाहिए कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्तों में हम आसानी से करते हैं। बंगाल अथवा दक्षिण भारत को ही लीजिए, जहाँ अंग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक है। वहाँ यदि जनता की मार्फत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर सकें, पर अंग्रेजी द्वारा कर ही नहीं सकते। हिन्दी के दो–चार शब्दों से हम अपना भाव कुछ तो प्रकट कर ही देंगे। पर अंग्रेजी से तो इतना भी नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो– चाहे कोई माने या न माने– राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता।'

संविधान सभी द्वारा राजभाषा सम्बन्धी निर्णय होने के कुछ सप्ताह बाद ही एक समारोह के लिए तत्कालीन उप–प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 23 अक्तूबर, 1949 के अपने संदेश में लिखा था : 'विधान परिषद् ने राष्ट्रभाषा के विषय में निर्णय कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को इस फैसले से दुःख हुआ। कुछ संस्थानों ने भी इसका विरोध किया है। परन्तु जिस प्रकार और बातों में मतभेद हो सकता है, उसी प्रकार इस विषय में यदि मतभेद है और रहे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विधान में कई ऐसी बातें हैं जिनसे सबका संतोष होना असंभव है। परन्तु एक बार यदि विधान में कोई चीज़ शामिल हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना सबका कर्तव्य है, कम–से–कम जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जिसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से फिर कोई तब्दीली हो सके। अब जबकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गई है (यद्यपि कुछ वर्षों के लिए एक विदेशी भाषा के साथ–साथ उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है), हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति करे और उसकी सेवा करे जिससे कि सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या संदेह के स्वीकृत हो। हिन्दी का पट महासागर की तरह विस्तृत होना चाहिए जिसमें मिलकर और भाषाएँ अपना बहुमूल्य भाग ले सकें। राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रान्त की है न किसी जाति की है, वह सारे भारत

की भाषा है और उसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसको समझ सकें और अपनाने का गौरव हासिल कर सकें।'

## 5. राजभाषा के रूप में हिन्दी

कोई भी भाषा जितने विषयों में प्रयुक्त होती जाती है। उसके उतने ही अलग–अलग रूप भी विकसित होते जाते हैं। हिन्दी के साथ भी यही हुआ है। पहले वह केवल बोलचाल की भाषा थी। तो उसका एक बोलचाल का ही रूप था, फिर वह साहित्यिक भाषा बनी तो उसका एक साहित्यिक रूप भी विकसित हो गया। समाचार–पत्रों में 'पत्रकारिता हिन्दी' का रूप उभर कर आया। वैसे ही 'खेलकूद की हिन्दी', 'बाजार की हिन्दी' भी सामने आई। स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग न्यूनाधिक रूप में कार्यालयों में होने लगा तो क्रमशः उसका एक राजभाषा रूप विकसित हो गया।

सामान्यतया 'राजाभाषा' भाषा के उस रूप को कहते हैं जो राजकाज में प्रयुक्त होता है। भारत की आजादी के बाद एक राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। उसी आयोग ने यह निर्णय लिया कि हिन्दी को भारत की राजभाषा बनायी जाए। तदनुसार संविधान में इसे राजभाषा घोषित किया गया था। प्रादेशिक प्रशासन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में भी इसका प्रयोग हो रहा है और केन्द्रीय सरकार भी अपने अनेकानेक कार्यों में इनके प्रयोग को बढ़वा दे रही है।

### 5.1 राजभाषा हिन्दी की विशेषताएँ

1. साहित्यिक हिन्दी में जहाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। राजभाषा हिन्दी में केवल अभिधा का ही प्रयोग होता है।
2. साहित्यिक हिन्दी में एकाधिकार्थता–चाहे शब्द के स्तर पर हो चाहे वाक्य के स्तर पर, काव्य–सौन्दर्य के अनुकूल मानी जाती है। इसके विपरीत राजभाषा हिन्दी में सदैव एकार्थता ही काम्य होती है।
3. राजभाषा अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों से पूर्णतः भिन्न है। इसके अधिकांश शब्द प्रायः कार्यालयी प्रयोगों के लिए ही उसके अपने अर्थ में प्रयुक्त होते है। जैसे :

आयुक्त = Commissioner
निविदा = Tender
विवाचक = Arbitrator
आयोग = Commission
प्रशासकी = Administrative
मन्त्रालय= Ministry
उन्मूलन =Abolition
आबंटन = Allоment आदि।

4. हिन्दी में सामान्यतः समस्रोतीय घटकों से ही शब्दों की रचना होती है। जैसे संस्कृत शब्द निर्धन + संस्कृत भाव वाचक संज्ञा प्रत्यय 'ता' = निर्धनता। किन्तु अरबी–फारसी शब्द गरीब + ता = गरीबता। किन्तु अरबी–फारसी शब्द गरीब + अरबी–फारसी भाव वाचक संज्ञा प्रत्यय 'ई' = गरीबी। हिन्दी में न तो निर्धन+ई=निर्धनी बनेगा और न ही गरीब+ता=गरीबता। लेकिन राजभाषा में काफी सारे शब्द विषम स्रोतीय घटकों से बने है। जैसे :

उपकिरायेदार = Sub-letting
जिलाधीश = Collector
उपजिला = Sub-district
अरद्द = uncancelled
अस्टांपित = unstamped
अपंजीकृत = unregistered
मुद्राबन्द = sealed
राशन–अधिकारी = ration-officer ... आदि।

अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी आदि समृद्ध भाषाओं में एक ही शैली मिलती है, पर राजभाषा हिन्दी में एक ही शब्द के लिए कई शब्द हैं। जैसे :

i) कार्यालय –दफ़्तर – ऑफिस
ii) न्यायालय–अदालत–कोर्ट–कचहरी
iii) शपथ–पत्र–हलफनामा–एफिडेविट
iv) विवाह–शादी–निकाह आदि।

5. राजभाषा हिन्दी का प्रयोग राजतन्त्र का कोई व्यक्ति करता है जो प्रयोग के समय व्यक्ति न हो कर तंत्र का एक अंग होता है। इसलिए वह वैयक्तिक रूप से कुछ न कहकर निर्वैयक्तिक रूप से कहता है। यही कारण है कि हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों में जबकी कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है, राजभाषा

हिन्दी के कार्यालयी रूप में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। उसमें कथन व्यक्ति–सापेक्ष न होकर व्यक्ति–निरपेक्ष होता है। जैसे : 'सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है', 'कार्यवाही की जाए', 'स्वीकृति दी जा सकती है' आदि।

## 5.2 राजभाषा : स्वरूप एवं क्षेत्र

स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन काल में समस्त राजकाज अंग्रेजी में होता था। सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् महसूस किया गया कि स्वतंत्र भारत देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए; एक ऐसी राजभाषा जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके। भारतवर्ष के विचारों की अभिव्यक्ति करनेवाली सम्पर्क भाषा 'हिन्दी' को 'राजभाषा' के रूप में स्वतंत्र भारत के संविधान में 14 सितम्बर, 1949 में राजभाषा समिति ने मान्यता दी। संविधान सभा में भारतीय संविधान के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव दक्षिण भारतीय नेता गोपालस्वामी अय्यङ्गार ने रखा था। इससे हिन्दी को देश की संस्कृति, सभ्यता, एकता तथा जनता की समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भाषा के रूप में भारतीय संविधान ने देखा है। 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ और हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली।

हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिन्दी का परम्परागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार क्षेत्र व्यापकतर हो गया। हिन्दी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है, वह वस्तुतः खड़ीबोली हिन्दी का परिनिष्ठित रूप है। जहाँ तक राजभाषा के स्वरूप का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि इसकी शब्दावली मूलतः संस्कृत से ली जाएगी और गौणतः सभी भारतीय भाषाओं सहित विदेश की भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अंगीकार किया जा सकता है। राजभाषा शब्दावली (जैसे : अधिसूचना, निदेश, अधिनियम, आकस्मिक अवकाश, अनुदान आदि) को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी एक अलग प्रयुक्ति (register) है। शब्द निर्माण के सम्बन्ध में राजभाषा के नियम बहुत ही लचीले हैं। यहाँ किसी भी दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों की संधि आराम से की जा सकती है। जैसे 'उप जिला मजिस्ट्रेट', 'रेलगाड़ी' आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा के अन्तर्गत शब्द निर्माण के नियम बहुत ही लचीले हैं।

राजभाषा का सम्बन्ध प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होने के कारण उसका सम्पर्क बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्रायः शिक्षित समाज से होता है। स्पष्ट है कि राजभाषा जनमानस की भावनाओं–सपनों–चिन्तनों से सीधे–सीधे न जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच सेतु का काम करती है। बावजूद इसके सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का यह एक मात्र माध्यम है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। यह राजभाषा हिन्दी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होकर 'कार्यालयी हिन्दी', 'सरकारी हिन्दी', 'प्रशासनिक हिन्दी' के नाम से हिन्दी के एक नए स्वरूप को रेखांकित करती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय–व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अधिकतर मामले में अनुवाद का सहारा लिये जाने के कारण यह 'कार्यालयी हिन्दी' अपनी प्रकृति में निहायत ही शुष्क, अनौपचारिक तथा सूचना प्रधान होती है। जहाँ तक 'राजभाषा हिन्दी' के क्षेत्र का प्रश्न है इसके प्रयोग के तीन क्षेत्र हैं : 1. विधायिका, 2. कार्यपालिका और 3. न्यायपालिका। ये राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं।

राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन प्रशासन के अंगों में होता है। विधायिका क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले संसद के दोनों सदन और राज्य विधान मंडल के दो सदन आते हैं। कोई भी सांसद/विधायक हिन्दी या अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा में विचार व्यक्त कर सकता है, परन्तु संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में ही किया जाना प्रस्तावित है। कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालय, विभाग, समस्त सरकारी कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएँ, उपक्रम, कम्पनी आदि आते हैं। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग प्रस्तावित हैं जबकि राज्य स्तर पर वहाँ की राजभाषाएँ इस्तेमाल होती हैं। न्यायपालिका में राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः दो क्षेत्रों में किया जाता है–कानून और उसके अनुरूप की जाने वाली कार्यवाही अर्थात् कानून, नियम, अध्यादेश, आदेश, विनियम, उपविधियाँ आदि और उनके आधार पर किसी मामले में की गई कार्रवाई और निर्णय आदि। राजभाषा के कार्य क्षेत्रों को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 'राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ एवं समाधान' में लिखा है : 'राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः चार क्षेत्रों में अभिप्रेत है–शासन, विधान,

न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का यही अभिप्राय और उपयोग है।'

## 6. बोध प्रश्न

1 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की भूमिका स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

2. राजभाषा का तात्पर्य समझाइए ?

.....

.....

.....

.....

3. राजभाषा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

4. राजभाषा के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

.....

## 7. सारांश

राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं सम्पर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लाँघकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जन मानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है तब वह राष्ट्रभाषा के

रूप में स्थान प्राप्त करती है। वही भाषा सच्ची राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति सारे राष्ट्र की प्रवृत्ति हों जिस पर समस्त राष्ट्र का प्रेम हो। राष्ट्र के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है।

जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।

जहाँ तक 'राजभाषा हिन्दी' के क्षेत्र का प्रश्न है इसके प्रयोग के तीन क्षेत्र हैं : 1. विधायिका, 2. कार्यपालिका और 3. न्यायपालिका। ये राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं।

## 8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. हिन्दी ग्यारहवीं सदी से ही अक्षुण्ण रूप से इस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है, भले ही राजकीय प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और अंग्रजी की मान्यता रही हो, लेकिन समूचे राष्ट्र के जन–समुदाय के आपसी सम्पर्क, संवाद–संचार विचार–विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और जीवन–व्यवहार का माध्यम हिन्दी ही रही। वस्तुतः आदिकाल में लोक स्तर से लेकर शासन स्तर तक और सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर साहित्यिक क्षेत्र तक हिन्दी राष्ट्रभाषा की कोटि की ओर अग्रसर हो रही थी। मध्यकाल में भक्ति आन्दोलन के प्रभाव से हिन्दी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जनभाषा बन गई। आधुनिक काल में विदेशी अंग्रेजी शासकों को समूचे भारत राष्ट्र में जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, प्रसार और प्रभाव दिखाई दिया, वह हिन्दी ही थी, जिसे वे लोग हिन्दुस्तानी कहते थे।

2 स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग न्यूनाधिक रूप में कार्यालायों में होने लगा तो क्रमशः उसका एक राजभाषा रूप विकसित हो गया। राजभाषा भाषा के उस रूप को कहते हैं, जो राजकाज में प्रयुक्त होता है। भारत की आजादी के बाद एक राजभाषा आयोग

की स्थापना की गई थी। उसी आयोग ने यह निर्णय लिया कि हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाई जाए। तदनुसार, संविधान में इसे राजभाषा घोषित किया गया था। प्रादेशिक प्रशासन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं।

3. देखें भाग 5.1

4. देखें भाग 5.2

# इकाई–5 : हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

**रूपरेखा**


1. उद्देश्य
2. प्रस्तावना
3. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण
    - 3.1 मानकता की आवश्यकता
    - 3.2 वर्तनी सम्बन्धी अद्यतन नियम
        - 3.2.1 संयुक्त वर्ण
        - 3.2.2 विभक्ति–चिह्न
        - 3.2.3 क्रियापद
        - 3.2.4 हाइफ़न
        - 3.2.5 अव्यय
        - 3.2.6 श्रुतिमूलक 'य', 'व'
        - 3.2.7 अनुस्वार तथा अनुनासिकता–चिह्न(चंद्रबिंदु)
        - 3.2.8 विदेशी ध्वनियाँ
        - 3.2.9 हल् चिह्न
        - 3.2.10 स्वन परिवर्तन
        - 3.2.11 विसर्ग
        - 3.2.12 'ऐ', 'औ' का प्रयोग
        - 3.2.13 पूर्णकालिक प्रत्यय
        - 3.2.14 अन्य नियम
4. बोध प्रश्न
5. सारांश
6. बोध प्रश्नों के उत्तर


## 1. उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिन्दी वर्तनी की आवश्यकता से परिचय पा सकेंगे;
- हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण से परिचित होंगे;
- मानक वर्तनी के अनुरूप मानक हिन्दी लिख सकेंगे;

## 2. प्रस्तावना

'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक इस अध्याय में हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण एवं उसकी आवश्यकता पर सविस्तार चर्चा की गई है। साथ ही मानक वर्तनी के प्रयोग का उदाहरण समझाया गया है।

## 3. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी हिन्दी को अपने राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी है। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी में लिपि, वर्तनी और अंकों का स्वरूप आदि विषयों में एकरूपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विविध स्तरों पर प्रयास किया। वर्णमाला के साथ ही हिन्दी वर्तनी की विविधता की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न भाषाविदों के सहयोग से हिन्दी वर्तनी की विविध समस्याओं पर गम्भीर रूप से विचार–विमर्श करने के बाद अपनी संस्तुतियाँ सन् 1967 में 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसकी काफी सराहना हुई।

### 3.1 मानकता की आवश्यकता

किसी भी भाषा के सीखने–सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्त्व हैं उसका व्याकरण और लिपि। लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वनों के पृथक् प्रतीक–वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार–भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान–लाघव एवं प्रयत्न–लाघव। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।

लिपि का दूसरा पक्ष है, वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है, फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं।

इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिन्दी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रैल, 1962 में अपनी अन्तिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 में 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया था।

## 3.2 वर्तनी सम्बन्धी अद्यतन नियम

वर्तनी सम्बन्धी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

3.2.1 *संयुक्त वर्ण–*

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा :

| | |
|---|---|
| ख्याति, लग्न, विघ्न | व्यास |
| कच्चा, छज्जा | श्लोक |
| नगण्य | राष्ट्रीय |
| कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास | स्वीकृति |
| प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य | यक्ष्मा |
| शय्या | |
| उल्लेख | |

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ़' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, पक्का आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का की तरह।

(आ) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ :

जैसे : वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

(वाङमय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं)

(इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे।

जैसे : प्रकार, धर्म, राष्ट्र

(ई) श्री का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए पहले त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी

एक के प्रयोग की छूट दी गई थी परन्तु अब इसका परम्परागत रूप 'त्र' ही मानक माना जाए। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजन+र के संयुक्ताक्षर (इ) के नियमानुसार बनेंगे। जैसे : क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि।

(उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय, व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व यथा : कुट्टिम, द्वितीय,, बुद्धिमान, चिह्नित आदि ( कुट्टिम, द्वितीय,, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, जैसे– संयुक्त, पक्का, विद्या, द्वितीय, बुद्धि आदि।

### 3.2.2 *विभक्ति–चिह्न*

(क) हिंदी के विभक्ति–चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे– राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने , स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे– उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति–चिह्न हों तो उनमें पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे– उसके लिए, इसमें से।

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे– आप ही के लिए, मुझ तक को ।

### 3.2.3 *क्रियापद*

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्–पृथक् लिखी जाएँ, जैसे– पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

### 3.2.4 *हाइफ़न*

हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे : राम–लक्ष्मण, शिव–पार्वती–संवाद, देख–रेख, चाल–चलन, हँसी–मज़ाक, लेन–देन आदि।

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए जैसे– तुम–सा, राम–जैसा, चाकू–से तीखे।
(ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे– भू–तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष, समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे– रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

इसी तरह यदि 'अ–नख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ–नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ–परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू–तत्व (पृथ्वी–तत्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न–भिन्न शब्द हैं।
(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे : द्वि–अक्षर, द्वि–अर्थक आदि।

### 3.2.5 *अव्यय*

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे– आपके साथ, यहाँ तक। इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओह, आहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं, जैसे–अब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए, जैसे– आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपये मात्र आदि। सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे– श्री राम, वाजपेयी जी, नेहरू जी, गांधी जी आदि।

समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे– प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे पृथक रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। 'दस रुपये मात्र', 'मात्र दो व्यक्ति' में पदबंध की रचना है। यहाँ 'मात्र' अलग से लिखा जाए, मिलाकर नहीं।

3.2.6 *श्रुतिमूलक 'य', 'व'*

(क) जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ इनका प्रयोग न किया जाए, अर्थात् किए–किये, नई–नयी, हुआ–हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे– दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि।

(ख ) जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे– स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। अर्थात् यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा।

3.2.7 *अनुस्वार तथा अनुनासिकता–चिह्न(चंद्रबिंदु)*

अनुस्वार ( ं ) तथा अनुनासिकता–चिह्न( ँ ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे– गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। (गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)

(ख)चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे– हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु की छूट दी जा सकती है, जैसे– नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे– कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना आदि।

3.2.8 *विदेशी ध्वनियाँ*

(क) अरबी–फ़ारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिन्दी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों मं रूपांतर हो चुका है, हिंदी

रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे– कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ आदि नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारण भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिन्दी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते (़) लगाए जाएँ, जैसे–खाना : ख़ाना, राज : राज़, हाइफन : हाइफ़न।

(ख) अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंन्दी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॅ)। जैसे– हॉल, मॉल, टॉकीज आदि।

जहाँ तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त–सितंबर, 1962 में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत–चिह्न लगाने पड़े। शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक–से–अधिक निकट होना चाहिए।

(ग) हिंन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो–दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक–सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है। कुछ उदाहरण हैं– गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, भरती/भर्ती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दुकान/दूकान, बीमारी/बिमारी आदि।

### 3.2.9 *हल् चिह्न*

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में समान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे– 'महान', 'विद्वान' आदि के 'न' में।

### 3.2.10 *स्वन परिवर्तन*

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों–का–त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को ब्रम्हा', 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार 'ग्रहीत', 'दृष्टव्य', 'प्रदर्शिनी',

'अत्याधिक', 'अनाधिकार' आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः 'गृहीत', 'द्रष्टव्य', 'प्रदर्शनी', 'अत्यधिक', 'अनधिकार' ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है, जैसे–अर्द्ध/अर्ध, उज्जवल/उज्ज्वल, तत्तव/तत्व, महत्तव/महत्व आदि।

### 3.2.11 *विसर्ग*

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे– 'दुःखानुभूति में' । यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे– 'दुख–सुख के साथी'।

### 3.2.12 *'ऐ', 'औ' का प्रयोग*

हिन्दी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया', 'कौवा' आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ ै, औ ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

### 3.2.13 *पूर्णकालिक प्रत्यय*

पूर्णकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे–
मिलाकर, खा–पीकर, रो–रोकर आदि।

### 3.2.14 *अन्य नियम*

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
(ख) फुलस्टॉप को छोड़ कर शेष विराम आदि वही ग्रहण कर लिए जाएँ, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, यथा–

( - – , ; ? ! : = )

( विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

हिन्दी एक विकासशील भाषा है। संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह शनैः–शनैः अखिल भारतीय रूप ग्रहणकर रही हैं। अन्य क्षेत्रीय

भाषाओं के संपर्क में आकर, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिन्दी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते–होते उसका यथासमय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप विकसित होगा। फिर लेखन, टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिन्दी भाषा में एकरूपता बहुत जरूरी है ताकि उसका एक विशिष्ट स्वरूप निश्चित हो सके। आज के यंत्राधीन जीवन को देखते हुए यह अनिवार्य भी है।

यह भी सच है कि भाषा–विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो ही जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा–सा डर रहता है। फलतः भाषा गतिशील, जीवन्त और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिन्दी वर्तनी की एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए, जहाँ तक बन पड़ा है, काफ़ी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई है।

## 6. बोध प्रश्न

1. हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए ?

.....

.....

.....

2. हिन्दी वर्तनी की एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय कुछ हद तक उदारतापूर्ण नीति क्यों अपनाई गई है ?

.....

.....

.....

3. निम्नलिखित शब्दों का मानकीकृत रूप लिखिए ?

ठण्डा, सन्ध्या, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रम्हा, बुद्धिमान, चिह्नित

.....

.....

.....

## 7. सारांश

हिन्दी एक विकासशील भाषा है। संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह शनैः–शनैः अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही हैं। भाषा के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार के अवरोध न आने पाए, इसीलिए हिन्दी

वर्तनी की एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय काफ़ी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई है। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।

## 8. बोध प्रश्नों के उत्तर

1. देखें भाग 3.1
2. देखें भाग 3.2.14
3. ठंडा, संध्या, लट्टू, बुड्ढ़ा, विद्या, चिह्न ब्रह्मा, बुद्धिमान, चिह्नित

## उपयोगी पुस्तकें :


1. हिन्दी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब महल, 22ए, सरोजिनी नाइडू मार्ग, इलाहाबाद, प्रकाशन–2001।
2. प्रशासनिक हिन्दी, डॉ. रामप्रकाश एवं डॉ. दिनेश कुमार गुप्त, राधाकृष्ण प्रकाशन 2/38 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली– 110002।
3. प्रशासनिक हिन्दी, डॉ. छबिल कुमार मेहेर, शबनम पुस्तक महल, बादामबाड़ी, ओड़िशा, कटक–753012।
4. सम्पर्क भाषा हिन्दी : विविध आयाम, सं. सुरेश कुमार, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी, सं. बालेन्दु शेखर तिवारी, संजय बुक सेंटर, वारणासी।
7. राजभाषा हिन्दी, डॉ. भोलानाथ तिवारी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
8. प्रयोजनमूलक हिन्दी, विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
9. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग, दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
10. भाषा विमर्श, सं. मुकुन्द द्विवेदी, हिन्दी अकादमी, दिल्ली।
11. देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली।
12. राष्ट्रभाषा हिन्दी, राहुल सांकृत्यायन, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।
13. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, दिल्ली।
14. भाषाविज्ञान : सैद्धान्तिक चिन्तन, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।
15. अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : सिद्धान्त एवं प्रयोग, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।

– Notes –